127/2016 शिवम्भूदयाल--- अशोककुमार

दिनांक	आज्ञा पत्र	
5-4-2018	वकुलाये फरीकैन उपस्थित । बहस उभयपक्षों की सुनी गई । प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट संख्या-1 ने अदालत मातहत में दावा विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम सिरोही में स्थित आराजी ख0नं0 1000 से 1006 कुल किता-7 रकबा 10.72 हैक्टर की खातेदारी प्रतिवादी सं0-1 व2 हि01/9, प्रतिवादी सं0 -3 हि0 1/18 वादी व प्रतिवादी सं0-4 हि0 1/6, प्रतिवादी सं0- 5 से 9 हि0 1/4, प्रतिवादी सं0-10 हिस्सा 1/4, प्रतिवादी सं0-11 हि0 1/6 राजस्व रेकार्ड में दर्ज है ।इस प्रकार वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 से 11 अपने अपने हिस्सेनुसार काबिज काश्तकार दर्ज है । उक्त आराजी का पक्षकारों के मध्य बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस् विधिवत विभाजन करवाने का पेश किया अदालत मातहत ने बाद सुनवाई वादी का दावा प्राथमिक रूप से डिक्री कर दिया ।इस आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारों पर प्रस्तुत की है ।	

योग्य अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली है । अदालत मातहत ने प्राथमिक डिक्री सहमति के आधार पर पारित किया जाना दर्ज किया है जो गलत किया है । अपीलान्ट की कोई सहमति नहीं रही है। अदालत मातहत ने प्राथमिक डिक्री पारित करने से पूर्व न तो रेस्पोडेन्ट संख्या-4 की तलबी करवाई है, ना ही किसी प्रकार की साक्ष्य ली तथा दावे में बिना तनकीयात कायम किये आदेश पारित किया है जो विधि के विपरित है । अदालत मातहत का आदेश प्राकृतिक न्याय शास्त्र के विपरित है । अपीलान्ट के वकील ने अपीलान्ट को कह रखा था जब आपकी आवश्यकता होगी आपको बुला लिया जावेगा प्रत्येक पेशी पर आने की कोई आवश्यकता नहीं है । किन्तु अपीलान्ट के वकील ने कोई सूचना नहीं दी इस कारण अपीलान्ट को निर्णय की

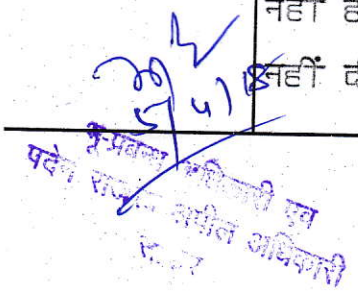

दिनांक	आज्ञा पत्र	
	जानकारी नहीं हो सकी। जानकारी होने पर यह अपील जानकारी से अन्दर मियाद पेश की है ।अत: अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय एवं डिक्री निरस्त कर प्रकरण को रिमाण्ड किया जावे । अपील दर्ज रजिस्टर की गई ।रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई । बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई ।	

किया गया । अदालत मातहत की पत्रावली में आदेशिका दिनांक 21-8-2015 में प्रतिवादी सं0-4 की तामिल सम्यक रूप से नहीं होना दर्ज किया है तथा प्रतिवादी सं0-4 की तामिल के आदेश है ।अदालत मातहत ने अपनाआदेश पारित किया उससे पूर्व कहीं भी प्रतिवादी सं0-4 की तामिल करवाई गई हो ऐसा कोई आदेश नहीं है ।तथा आदेशिका में दिनांक 19-11-2015 को जबाब दावा पेश किया गया नकल दी गई है तथा दिनांक 12-12-2015 को प्रतिवादी सं0-4 की तलबी हेतु आदेश कर दिनांक01-2-2016 तारीख पेशी नियत कर दी गई। तथा नियत तारीख पेशी से पूर्व ही अदालत मातहत ने वादी के प्रार्थना पत्र पर बिना प्रतिवादीगण को सूचना दिये दावा प्राथमिक रूप से डिक्री किया है। जिसमें स्पष्ट है कि अपीलान्ट को बिना बिना सुनवाई का अवसर दिये नियत तारीख पेशी से पूर्व आदेश पारित किया है जिसे यथावत रखा जाना उचित नहीं मानकर प्रकरण को रिमाण्ड किया जाना उचित मानते हैं ।

अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 7-1-16 को खारिज किया जाकर प्रकरण अदालत मातहत को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाना उचित मानते हैं कि वह प्रकरण में उभयपक्षों को सुनवाई का

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

127/2016 शिम्भूदयाल-- अशोककुमार

दिनांक	आज्ञा पत्र	
	अवसर देते हुये अपना निर्णय पुनः पारित करें । पक्षकार अदालत मातहत मे दिनांक 31-5-2018 को उपस्थित होवे । निर्णय सुनाया गया । (शंकरलाल मेहरड़ा) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर	